**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA**
**[L.D. Appeal Case No.-160/2023]**

**Md. Azabul & Anr.............................................................Appellants.**
**Versus**
**The State of Bihar & Ors..................................................Respondents.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **21.1.2026** | (see below) | |

**21.1.2026**

## आदेश

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-56/2021-22 में दिनांक-20.6.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

| अंचल | मौजा/थाना नं0 | खाता | खेसरा | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| बारसोई | सिदरन/674 | 83 | 37 | 33डी. |

दिनांक 05.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन का क्रय उनके द्वारा निबंधित केवाला सं.-12647 दिनांक-05.9.2012 से किया गया। जिसके उपरान्त उनके दखल कब्जा में रहा तथा यह कि विपक्षीगण द्वारा उनके खरीदगी जमीन पर दिनांक 26.1.2022 से जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके द्वारा निबंधित केवाला सं0-15210 दिनांक -06.11.2014 के माध्यम से क्रय किया गया जिसके उपरान्त उनके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन लुबरी देवी के नाम से खतियान में दर्ज है। तथा यह कि अपीलार्थी के विक्रेता द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय लुबरी देवी के पुत्र घोटई यादव से किया गया है। जबकि विपक्षीगण के विक्रेता द्वारा प्रश्नगत जमीन का क्रय खतियानधारी लुबरी देवी से किया गया है। कागजातों के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि खेसरा सं.-36 एवं 37 के प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन का विक्रय लुबरी देवी द्वारा केवाला संख्या-12272 दिनांक-22.11.1957 से रामेश्वर यादव को कर दिया गया था। जबकि इसके उपरान्त लुबरी देवी के पुत्र घोटई यादव द्वारा उक्त जमीन को पुनः किसी अन्य को विक्रय किया गया। इस प्रकार खतियान रैयत के पुत्र द्वारा निबंधित दस्तावेज से खतियानी रैयत द्वारा पूर्व में विक्रय किये गये जमीन का ही दोबारा बिक्री किया जाना नियमानुकूल नहीं है। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी के अभिकथन एवं संगत तथ्यों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। अतः प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया